



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP02422241612138V
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 11:28 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14790104/ ALAPUR/ UP-AMB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1479010400435718140017V
 Purchased by : TD COLLEGE OF PHARMACY K SB MANAGER TRIBHUVAN DUTT
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) : 100
 (One Hundred only)
 First Party : TD COLLEGE OF PHARMACY K SB MANAGER TRIBHUVAN DUTT
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : TD COLLEGE OF PHARMACY K SB MANAGER TRIBHUVAN DUTT
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



(प्रारूप-" अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम कुम्भकरण (नाम अध्यक्ष) प्रमोद कुमार एवं (नाम सचिव) कमला अग्रवाल एवं सचिव डॉ० अम्बेडकर जनसेवा शिक्षण संस्थान (सोसाइटी/ट्रस्ट नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा डा० अम्बेडकर जनसेवा शिक्षण संस्थान (संस्था का नाम एवं पता) टी०डी० कॉलेज ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम डा० अम्बेडकर जनसेवा शिक्षण संस्थान (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) कसदह, सुक्लबाजा अम्बेडकरनगर गाटा सं० 215, 216, 217, 219, 220, 228, एवं 229 रकबा क्रमशः 10 बीघा एवं 2.368 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.368 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी दाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 216, 217, 220 एवं 229 रकबा क्रमशः 3.241 एवं 0.813 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.813 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01.04.2021 द्वारा पारित किया गया है।

Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.tribhuvanmaurya.com or using a QR code sticker from the website.
2. Any transaction in the matter of this Certificate and registration in the website. Must not contain a scam.
3. The user is relieving the responsibility for the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the concerned authority.

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनेमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं। तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

पुनोद कुना

HO सचिव

कुना

HO अध्यक्ष